न्यायालय उपखण्ड अधिकारी केकडी जिला अजमेर

राजस्व वाद 48/2018

धीसा पुत्र हजारी जाति कुमावत निवासी नयागांव (बघेरा)तहसील केकडी जिला अजमेर

———प्रार्थी

♠ बनाम ♠

1. रामपुरूष पुत्र जुवाना जाति कुमावत
2. मजेटर पुत्र दौला जाति कुमावत
3. बजरंग पुत्र दौला जाति कुमावत
4. महेन्द्र पुत्र दौला जाति कुमावत

समस्त जाति कुमावत निवासीगण नयागांव (बघेरा) तहसील केकडी जिला अजमेर

5. राजस्थान सरकार जर्ये श्रीमान तहसीलदार केकडी जिला अजमेर

——— अप्रार्थीगण

राजस्व प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 128 राज. लैण्ड रेवेन्यु एक्ट

आदेश

दिनांक 25.11.2021

पत्रावली आज प्रशासन गावों के संग अभियान केम्प मानखण्ड तहसील केकडी जिला अजमेर में प्रस्तुत हुई। संक्षेप में विवरण निम्नानुसार है।

प्रार्थी द्वारा राजस्व प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 128 राज. लैण्ड रेवेन्यु एक्ट के तहत प्रस्तुत किया है। वाद वर्णित आराजीयात वाके ग्राम नयागावं (बघेरा) की जमाबन्दी संवत 2072–75

खाता स. नया– पुराना	खसरा नम्बर	रकबा	किस्म
56–56	636	0.15	चाही 1
	1461	0.42	बारानी 2
	1462	0.38	बारानी 2

राजस्व अभिलेख में प्रार्थी के नाम दर्ज रिकॉर्ड है। वादग्रस्त आराजीयात प्रार्थी के कब्जे, स्वामित्व, आधिपत्य में चली आ रही है। उक्त आराजीयात प्रार्थी की खातेदारी की आराजीयात है तथा उक्त वर्णित आराजीयात पर प्रार्थी मोके पर काश्त करता चला आ रहा है। अप्रार्थी स. 1 लगायत 4 प्रार्थी की आराजीयात के पडोसी खातेदार है। प्रार्थी ने अपने हिस्से की आराजीयात का सीमाज्ञान करवाया परन्तु अप्रार्थीगण बार–बार सीमा चिन्हो को मिटा देते है व प्रार्थी के हिस्सें की आराजीयात पर अनाधिकृत रूप से कब्जा करने व फसल काश्त करने पर उतारू हो जाते है व मना करने पर लडाई पर उतारू हो जाते है। प्रार्थी की वर्णित आराजी के स्थायी सीमाज्ञान हेतु नियमानुसार पत्थरगढी करवाया जाना आवश्यक हो गया है।

Signature Not Verified

Digitally signed by Vikas Pancholi
Date: 2022.01.14 11:39:37 IST
Reason: SelfAttested

उपखण्ड अधिकारी
केकडी (अजमेर)

Scanned with CamScanner

प्रकरण श्रवणाधिकार व क्षेत्राधिकार का होने से दर्ज रजिस्टर किया गया। अप्रार्थीगण को जरिये नोटिस तलब किया गया। अप्रार्थीगण बावजूद नोटिस तामिली अनुपस्थित , उनके खिलाफ एकतरफा कार्यवाही अमल में लाई गई । अप्रार्थी सं. 5 पेशकार सरकार ने आदेशिका पर यह अंकित किया है कि पत्थरगढी आदेश से राजहित अप्रभावित रहेगा।

हमने पत्रावली का अवलोकन किया । पक्षकारान की बहस पर मनन किया। प्रार्थी प्रार्थना पत्र में वर्णित आराजी का खातेदार काश्तकार है। खातेदार काश्तकार को स्वयं की खातेदारी की पत्थरगढी करवाने के हक अधिकार है। अतः प्रार्थी का प्रार्थना पत्र बाबत पत्थरगढी अन्तर्गत धारा 128 भू.रा.अधि. के तहत स्वीकार किया जाता है। तहसीलदार केकड़ी वाके ग्राम नयागांव (बघेरा) की जमाबन्दी संवत 2072–76 के खाता संख्या नया पुराना 56–56 खसरा नम्बर 636,1461,1462, रकबा क्रमशः 0.15, 0.42 0.38 हैक्टर की पत्थरगढी प्रार्थी द्वारा नियमानुसार पत्थरगढी शुल्क जमा कराने पर कार्मिकों की टीम गठित करके की जावें। खर्चा फरिकेन अपना अपना वहन करें।

आदेश आज दिनांक 25.11.2021 को केम्प मानखण्ड मजमे आम मे सुनाया गया।

(विकास पंचोली)
उपखण्ड अधिकारी
केकड़ी (अजमेर)

उपखण्ड अधिकारी केकड़ी

Signature Not Verified

Digitally signed by Vikas Pancholi
Date: 2022.01.14 11:39:37 IST
Reason: SelfAttested

Scanned with CamScanner